भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1342
28.07.2025 को उत्तर के लिए

असम में अगरवुड पौधरोपण और व्यापार को बढ़ावा देना

1342. श्री अमरसिंग टिस्सो:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने असम में, विशेषकर कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओं जैसे जनजातीय क्षेत्रों में टिकाऊ अगरवुड पौधरोपण और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो ऐसी पहलों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) इन उपायों से स्थानीय जनजातीय किसानों को किस हद तक लाभ हुआ है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) अगरवुड के संधारणीय उपयोग और उत्पादकों द्वारा इसके रोपण, व्यापार और उद्योग आदि को बढ़ावा देने के लिए, असम राज्य सरकार ने "असम अगरवुड संवर्धन नीति 2020" अधिसूचित की है। असम राज्य ने असम वन क्षेत्र के बाहर वृक्ष (सतत प्रबंधन) नियम, 2022 के अंतर्गत अगरवुड की कटाई, उसके बाहरी हिस्से को हटाने और पूर्वोत्तर राज्यों के भीतर असम राज्य से बाहर ले जाने के लिए पूर्व अनुमति लेने से भी छूट प्रदान की है। अमृत वृक्षारोपण आंदोलन 2023 और 2024 के दौरान, जनभागीदारी मॉडल के तहत वृक्षारोपण के लिए असम वन विभाग द्वारा जनता को अगरवुड के निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराए गए हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगरवुड के संवर्धन के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने वर्ष 2023 में संबंधित मंत्रालयों, संबंधित राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए एक अंतर-मंत्रालयी कार्य बल का गठन किया है। कार्य बल की सिफारिश के आधार पर, असम राज्य सहित संबंधित राज्यों में संधारणीय अगरवुड रोपण और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिसमें विभिन्न कार्यों को शामिल करने वाला रोडमैप, अगरवुड संचालन समूह का गठन, निर्यात सुविधा समिति की स्थापना,

हितधारकों के साथ क्षमता निर्माण कार्यशालाएं, निर्यात लाइसेंस जारी करने के लिए केंद्रीकृत पोर्टल शुरू करना आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर, कृत्रिम रूप से प्रवर्धित स्रोतों से प्राप्त अगरवुड चिप्स और पाउडर का निर्यात कोटा 25,000 किलोग्राम प्रति वर्ष से बढ़ाकर 1,51,080 किलोग्राम प्रति वर्ष और अगर तेल का निर्यात कोटा 1,500 किलोग्राम प्रति वर्ष से बढ़ाकर 7,050 किलोग्राम प्रति वर्ष करने के लिए केंद्र सरकार ने 20 जनवरी 2025 को निर्यात नीति की शर्तों को भी अधिसूचित किया है।

अगरवुड के संवर्धन के लिए किए गए इन उपायों में, जैसे अगरवुड चिप कटर और प्रसंस्करण, संरोपण तकनीशियन, अगरवुड मूल्य श्रृंखला आदि, इसके अलावा उन्हें अपनी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए शामिल करने के लिए स्थानीय लोगों को कई तरीकों से शामिल करने के लिए किया गया है।

****